

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1320 / 2022

दिनांक : 16 .04.2022

श्रीमती विजय श्री रावत (RJ1172), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, घड़साना (श्रीगंगानगर) को दिनांक 25.04.2022 से 21.10.2022 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 23.04.2022 से 24.04.2022 एवं 22.10.2022 से 27.10.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुरजोत सिंह (RJ1265), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) को श्रीमती विजय श्री रावत के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, घड़साना (श्रीगंगानगर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री गुरजोत सिंह (RJ1265), अति. कार्यभार वाले न्यायालयों में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।

आज्ञा से,
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 16.04.2022

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/37/2017/ 2876

दिनांक : 16 .04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक 958 दिनांक 25.03.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती विजय श्री रावत (RJ1172), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, घड़साना (श्रीगंगानगर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, घड़साना (श्रीगंगानगर)।
5. श्री गुरजोत सिंह (RJ1265), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।

16.4.2022
सहायक रजिस्ट्रार